नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/1/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उपस्थित। बहस दफा 212 RT Act सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25/1/19 को पेश हो। [हस्ताक्षर] SDO K	
25/1/19	वकील उपस्थित। प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 7/6/18 को निर्णय तक स्थाई किया जाता है। अप्रार्थीगण को निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर अंकित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न से कम हो सुनाया। [हस्ताक्षर] SDO K	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह चौधरी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/69/2018

वउनवान

1. बाबू पुत्र किरोडी जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर

——— सायल

बनाम

1. नेमीसिंह पुत्र श्री बन्नो जाति जाट निवासी सौंख
2. शैलेन्द्र पुत्र श्री बन्नो जाति जाट निवासी सौंख
3. वीरेन्द्र पुत्र श्री नवल जाति जाट निवासी सौंख
4. हरपाल पुत्र श्री नवल जाति जाट निवासी सौंख

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

श्री मीनासिंह राणा एडवोकेट : वकील सायल

श्री चन्दकुमार शर्मा एडवोकेट — वकील गैरसायल सं0 1 ला0 4

आदेश

दिनांक 25/1/19

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1273, 1274, 1522, 878, 880, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 2051, 2056, 2058, 2060, 2066, 2067, 2076, 2077, 2079, 2080, 1329, 1335, 1336, 1501, 1515, 1573, 1170, 1174, 1171, 1326, 1504/2365 वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल एंव गैरसायल संख्या 1 ला04 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल एंव गैरसायलान शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल विवादित आराजी में गैरसायलान के साथ शामलात में काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है इस वजह से सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। विवादित आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

ते है जवरन वेदखल करने तथा विना तकासमा कराये रहन वय करने की धमकी देते है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि असुविधा व क्षति होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को उपरोक्त आराजी में सायल के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करने रहन वय नहीं करने एंव मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 4 मय अधिवक्ता हाजिर आये तथा अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि गैरसायलान ने सायल से विवादित आराजी के कानूनी तकासा के लिये कभी इन्कार नहीं किया। विवादित आराजी का यदि कानूनी तकासमा कर दिया जावे तो गैरसायलान सहमत है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य विवादित आराजी पर काश्त सम्बन्धी कोई विवाद नहीं है। हम विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 वाके ग्राम सौंख की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है सायल विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी का अलग से कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है बल्कि सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है रहन वय करने की धमकी देते है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी को विना तकासमा कराये रहन वय कर दिया या सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो अपार हानि व नुकशान सायल को होगा। इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी वहस के दौरान अपने जवाव दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार है। सायल ने गैरसायलान के विरूद्व गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन

उपजिलाधिकारी

Scanned by CamScanner

3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमावन्दी संवत् 2072 से 2075 वाके ग्राम सौंख में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से विवादित आराजी पर सायल व गैरसायलान का शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है यदि गैरसायलान ने सायल को उनके कब्जे काश्त में बाधा की या रहन वय कर दिया तो इससे सायल को नुकशान होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1273, 1274, 1522 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 878, 880, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891 के 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 2051, 2056, 2058, 2060, 2066, 2067, 2076, 2077, 2079, 2080 के 1/4 हिस्सा 1329, 1335, 1336, 1501, 1515, 1573 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 1170 के 1/2 हिस्सा 1174 के 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 117 के 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 1326 के 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 1504/2365 के 1/18 हिस्सा वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर के मौका एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25/1/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner